भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8 – CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003

पीआर/22 /2025–पीसीआई

दिनांक: 27.03.2026

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय प्रेस परिषद मीडिया को आगामी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 (आठ) विधानसभा सीटों के उपचुनावों के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क और भारतीय प्रेस परिषद के 'मतदान-पूर्व' और 'मतदान-उपरांत' सर्वेक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह देती है।

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 (आठ) विधानसभा सीटों के उपचुनावों के मद्देनजर, भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क का ध्यान रखने की सलाह देती है, जिसमें एग्जिट पोल के परिणामों के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध आदि का प्रावधान है -

1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात् :-

   क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगी;

   ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचन की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रहेगी:

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8 – CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रहेगी।

3) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद के 'मतदान-पूर्व' और 'मतदान-उपरांत' संबंधी दिशानिर्देशों पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि पत्रकारिता आचरण के मानकों, 2022 संस्करण के भाग ख (ड़) (ii) में विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है:

"प्रेस परिषद की यह सलाह है कि हमारे जैसे प्रतिनिधि के लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए समाचारपत्रों को सतर्क रहना चाहिए कि उनके बहुमूल्य मंच का प्रयोग चुनावों की विकृति तथा तोड़ मरोड़ के लिए न किया जाए। आज इस बात पर जोर देना जरूरी हो गया है क्योंकि संबंधित व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा कोशिश की जाने लगी है कि जातीय, धार्मिक तथा नृजातीय आधार पर सूक्ष्म तथा अनतिसूक्ष्म प्रचार द्वारा और कथित निर्वाचन-पूर्व सर्वेक्षणों जैसे परिष्कृत साधनों के प्रयोग द्वारा भोले मतदाताओं को भ्रांत तथा दिग्भ्रमित करने के लिए प्रिंट मीडिया से अधिकाधिक लाभ उठाया जाए। अनेक मामलों में सांप्रदायिकता तथा राजद्रोहात्मक प्रचार का पता लगाने में तो कठिनाई नहीं होती किंतु कई बार चेष्टापूर्वक रोपित किए गए, मतदान-पूर्व सर्वेक्षण के अपने हित के लिए प्रयोग का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। अतः प्रेस परिषद का सुझाव है कि समाचारपत्र जब कभी मतदान-पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करें, वे उनके साथ निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से देने की सावधानी बरतें; सर्वेक्षण किन संस्थाओं ने किए हैं; सर्वेक्षण किन व्यक्तियों तथा संगठनों ने कराए हैं; चुने गए नमूनों का आकार तथा स्वरूप; निष्कर्षों के लिए नमूना चुनने की विधि; और निष्कर्षों में भूल की संभावित गुंजाइश।

1. *फिर, मतदान एक से अधिक तिथियों को होने की स्थिति में देखा गया है कि जो मतदान हो चुके हो, मीडिया उनके मतदान-उपरांत सर्वेक्षण प्रकाशित कर देते हैं। इससे उन मतदाताओं के प्रभावित हो जाने की संभावना है, जहां अभी मतदान होना है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि निर्वाचन प्रक्रिया को निर्मल रखा जाए और मतदाताओं के मन पर*

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8 – CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003

किसी बाहरी तत्व का प्रभाव न पड़े, यह आवश्यक है कि मीडिया तब तक मतदान-उपरांत सर्वेक्षणों को प्रकाशित न करें, जब तक अंतिम मतदान पूरा न हो जाए।

2. *अतः प्रेस से प्रेस परिषद का अनुरोध है कि मतदान-उपरांत सर्वेक्षणों के बारे में निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन किया जाए:*

दिशानिर्देश: कोई समाचारपत्र तब तक मतदान-उपरांत सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं करेगा, चाहे वे कितने भी प्रामाणिक हों, जब तक अंतिम मतदान पूरा न हो जाए।"

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण मानक, 2022 में उल्लिखित 'मतदान-पूर्व' और 'मतदान-उपरांत' संबंधी दिशानिर्देशों के मद्देनजर, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनावों और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा के 8 (आठ) विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के दौरान निर्दिष्ट प्रतिबंधित अवधि में प्रिंट मीडिया को ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित/प्रचारित न करने की सलाह दी जाती है।

****

☎**Tel: 24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25** विस्तार/**Extn. 312**फैक्स/**Fax 011-24368723**
ई-मेल/**E-mail:** so.editorial-pci@gov.in वेबसाइट/**Website:** www.presscouncil.nic.in